

दो पेश हैं । ६

१५/२६

पत्रा० पेश हुई। प्राची वकील उप०।
मूल वाद में P. ७ जारी करने वाक सहमति प्रदान की
वादी अधिवक्ता की वहस सुनी गई। वादी वकील
ने उपपक्षकारान की मूल वाद के अंतिम निस्तारण
तक पावंद करने वाक निवेदन किया गया।
वहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट
है कि दावा S3 का है। एवं एकपक्षीय आप्तवाही की
जा चुकी है। वादी वकील ने P. ७ जारी करने वाक
सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के
अंतिम निस्तारण तक उपपक्षकारान डॉ. मोटा व राजस
स्किट की स्थिति यथावत रहने वाक पावंद किया जाना
उचित प्रतीत होता है। अतः पावंद किया जाता है। एवं
पत्रावली फ़ैसल अुमार होकर दायिल दफ्तर हो। एवं
मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।